कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

लोकपाल, मनरेगा(वैशाली)

शिकायत पत्र सं0- 10/13-17

वाद संख्या–08 के तथ्य एवं निष्कर्ष क्रम सं0 -10

दिनांक		अभ्युक्ति
12/7/13		

यह परिवाद पत्र श्री सूर्यदेव राय निवासी ग्राम – शहजादपुर, पो0– इस्माइलपुर, प्रखण्ड – हाजीपुर, जिला– वैशाली के दिनांक 25.03.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है ।

ग्राम पंचायत विशुनपुर बालाधारी की मनरेगा योजना संख्या 37/2008–9, ग्राम चन्द्रालय से लेकर दौलतपुर चॉदी पंचायत तक तिरहुत बॉध की मरम्मति कार्य में अनियमितता बरती गयी है। तिरहुत बाँध का मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। उक्त योजना की राशि 3,49,993/–रूपया श्री राम नरेश राय, ग्राम पंचायत समिति सदस्य द्वारा नाजायज ढंग से निकालकर गबन किया गया।

शिकायतकर्त्ता का आगे यह भी कहना है कि उपरोक्त योजना के क्रियान्यवन के समय 2008–09 में तिरहुत बांध का मरम्मत कार्य "बाढ एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, लालगंज" द्वारा कराया जा रहा था, फिर मनरेगा से मरम्मत कैसे कराया गया, जबकि मनरेगा द्वारा उक्त योजना हेतु बाढ एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, लालगंज द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं प्राप्त किया गया था।

उक्त योजना कार्य के अभिकर्त्ता श्री राम नरेश राय भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य है। जिसे तत्कालीन कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारी, श्रीमती अमिता ज्ञानी, हाजीपुर के कार्यावधि में किया गया है। उक्त कार्य के मापी पुस्तिका का सत्यापन–कार्य मो0 जावेद अली, सहायक अभियंता मनरेगा प्रखण्ड, हाजीपुर द्वारा किया गया है।

शिकायतकर्त्ता के शिकायत के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर एवं श्री राम नरेश राय भतपूर्व पंचायत समिति सदस्य से कारण पृच्छा की मांग की गयी। तत्कालीन पंचायत समिति सदस्य ने अपने कारण पृच्छा में बताया कि उक्त योजना ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 5610 दिनांक 22.04.2008 तथा उप विकास आयुक्त, वैशाली के पत्रांक 506 दिनांक 01.05.2008 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2008–09 में हाजीपुर प्रखण्ड से पंचायत समिति के तहत् नरेगा के 106 योजना में स्वीकृत था। जिसे तकनीकी/ वरीय पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण/ दिशा निदेश में कार्य प्रारंभ किया गया था तथा मनरेगा एवं बाढ़ एवं जल निस्सरण प्रमण्डल द्वारा अलग–अलग अवधि में कार्य कराया गया है।

कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर ने योजना संबंधी अभिलेख उपस्थापित किया। उन्होंने सूचित किये कि उक्त योजना तत्कालीन कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारी, श्रीमती अमिता ज्ञानी के कार्यावधि में किया गया था।

तत्कालीन कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारी, के कारण पृच्छा में बताया गया

कि प्रश्नगत शिकायतकर्त्ता ने जिला पदाधिकारी, वैशाली के जनता दरबार में भी पूर्व में इसी प्रकार का शिकायत पत्र दिया था। निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, वैशाली के निदेश में कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर और सहायक अभियंता, मनरेगा, हाजीपुर प्रेक्षत्र हाजीपुर ने संयुक्त रूप से जांच की थी। उक्त संयुक्त प्रतिवेदन में कहा गया है कि उक्त योजना में कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है तथा योजना का क्रियान्वयन दोनों एजेंसी द्वारा अलग-अलग समय में कराया गया है।

तत्कालीन कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारी का आगे यह भी कहना है कि दिनांक 21.05.2008 को जिला पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में सभी विभाग के कार्यपालक अभियंताओं की उपस्थिति में तटबंध मरम्मती से संबंधित कच्चे कार्यो को (मिट्टी भरने से संबंधित) मनरेगा के तहत् कार्यान्वित कराने का आदेश दिया था। उक्त आदेश (मौखिक) के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर के पत्रांक 122 दिनांक 22.05.2008 द्वारा जिला पदाधिकारी को प्रखंड अंतर्गत कार्यान्वित की जा सकने वाली सूची समर्पित की गयी थी। उक्त पत्र के क्रमांक (7) पर उक्त वर्णित योजना अंकित थी। उक्त निष्पादित गये कार्य के अभिलेख मस्टर रौल, एडवाइस,मापी पुस्तिका स्थल का फोटो, एकरारनामा इत्यादि से कार्य का संपादन स्पष्ट होता है।

दिनांक 06.05.2013 एवं 03.06.2013 को मेरे द्वारा कार्य स्थल का भ्रमण किया गया। चूँकि कार्य योजना वर्ष 2008-09 से संबंधित है। अतः उक्त अवधि में किये गये मिट्टी के कार्यो का सत्यापन कर पाना व्यवहारिक रूप से मुश्किल प्रतीत होता है। वैसे बॉध का स्वरूप सही अवस्था में है। उक्त योजना के अभिलेख एडवाइस एवं मास्टर रॉल का निरीक्षण किया गया। मास्टर रॉल तथा एडवाइस में अंकित मजदूरों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की गयी । एडवाइस में वर्णित सत्तर मजदूरों में से तेइस मजदूरों के पहचान पत्र के साथ उनके ब्यान दर्ज किये गये। सभी मजदूरों ने कार्य किये जाने की पुष्टि की है।

दिनांक 16.05.2013 को कार्यपालक अभियंता बाढ़ एवं जल निस्सरण प्रमंडल, लालगंज को मनरेगा योजना द्वारा कार्य करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में मंतव्य मांगा गया था, परन्तु वह अभी तक अप्राप्त है। बाढ़ एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, लालगंज के उक्त बांध के मरम्मत संबंधी कार्य के एकरारनामा एंव मापी पुस्तिका का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया गया कि प्रमण्डल ने हाजीपर से लालगंज के बीच लगभग 08 कि0मी0 की दूरी में बांध उँचा करने एवं मजबूती प्रदान करने हेतु दिनांक 05.02.09 को एकरारनामा किया था। जिसकी प्राक्कलित राशि 3,57,03150.00रूपये की थी। जिसे उनकी मापी पुस्तिका में 08/11 में पूर्ण होना अंकित पाया गया है। जबकि मनरेगा योजना की एकरारनामा तिथि 14.06.2008 तथा मापी पुस्तिका में कार्य पूर्ण होने की अन्तिम तिथि 09.01.2009 दर्शायी हुई है।

अतः प्रमण्डल द्वारा कार्य करने हेतु एकरारनामा से पहले मनरेगा का कार्य पूर्ण हो चुका था। कार्य पूर्ण होने का अर्थ है कि दोनो कार्य साथ–साथ नहीं चल रहे थे। प्रमण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में मंतव्य देने हेतु कोई रूचि नही दिखाई गयी है और न ही मनरेगा द्वारा कार्य किये जाने के दौरान उनके आपत्ति करने के कोई संकेत मिले है।

उक्त योजना 37/08–09 के अभिकर्त्ता श्री राम नरेश राय, पंचायत समिति सदस्य (भूतपूर्व) के द्वारा निष्पादित कार्य, मापी पुस्तिका में सहायक अभियंता मनरेगा, प्रखण्ड–हाजीपुर द्वारा सत्यापित है। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा कार्य की स्वीकृति, अभिलेख का संधारण एवं मस्टर रॉल सह एडवाइस में मौजूद मजदूरों द्वारा कार्य किये जाने की स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप कार्य किये जाने की पुष्टि होती है।

इन्हीं निष्कर्ष के साथ इस बाद का निष्पादन किया जाता है।

हस्ताक्षर

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 846 मनरेगा, दिनांक 12.7.13

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 846 /मनरेगा, दिनांक 12.7.13

प्रतिलिपिः श्री रामनरेश राय भूतपूर्व पंचायत समिति, सदस्य पिता– श्री गेना राय ग्राम पंचायत –मनुआँ, थाना– सदर हाजीपुर, जिला– वैशाली तथा शिकायतकर्त्ता श्री सूर्यदेव राय, निवासी –ग्राम– शहजादपुर , पो0– इसमाइलपुर, थाना– हाजीपुर सदर, प्रखण्ड– हाजीपुर, जिला– वैशाली को सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 846 /मनरेगा, हाजीपुर 12.7.13

प्रतिलिपिः श्रीमती अमिता ज्ञानी कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, मनरेगा, प्रखण्ड– हाजीपुर, जिला–वैशाली को सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 846 /मनरेगा,हाजीपुर दिनांक 12.7.13
प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 846 /मनरेगा, दिनांक 12.7.13
प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना, को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।